

HARYANA GOVERNMENT
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
Notification

The 27th October, 2005

No. CCP (NCR)/EW/GGN/23/CA/B/2005/1676.- In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-section (1) of Section-4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act. 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the area within a distance of two kilometres around Government Middle School, Village Mankrola, District Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purpose of the said Act, namely :-

Schedule

Schedule of boundaries of the controlled area around Government Middle School at Village Mankrola (Hadbast No. 42), District Gurgaon to be read with Drawing No. DTP (G) 1394/2005, dated the 16th June, 2005.

North: Starting from point 'A' i.e. North-West corner of rectangle No. 11 of village Mankrola (Hadbast No. 42), towards North-East along Delhi-Haryana State boundary upto point 'B' i.e. the North-East corner of rectangle No. 66 of village Mankrola (Hadbast No. 42).

East: Thence from point 'B' towards South along Eastern boundary of rectangle Nos. 66, 65, 63 and 54 of village Mankrola (Hadbast No. 42), upto the South-East corner of rectangle No. 54 of Village Mankrola (Hadbast No. 42), thence towards West along Southern boundary of rectangle No. 54 of village Mankrola (Hadbast No. 42) upto the South-West corner of the same rectangle, thence towards South along Eastern boundary of rectangle Nos. 50, 47, 42, 39, 31 and 32 of village Mankrola (Hadbast No. 42) upto the point 'C' i.e. South-East corner of rectangle No. 32 of village Mankrola (Hadbast No. 42).

South: Thence from point 'C' towards West along Southern revenue boundary of village Mankrola (Hadbast No. 42) upto point 'D' i.e. the South-West corner of rectangle No. 26 of village Mankrola (Hadbast No. 42).

West : Thence from point 'D' towards North along Western revenue boundary of village Mankrola (Hadbast No. 42) upto point 'A' i.e. the point of start.

SHAKUNTLA JAKHU,
Financial Commissioner and Principal Secretary to Government
Haryana, Town and Country Planning Department.

हरियाणा सरकार
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग
अधिसूचना

दिनांक 27 अक्टूबर, 2005

संख्या सी० सी० पी० (एन० सी० आर०) ई० डब्ल्यू०/जी० जी० एन०/23/सी०ए०/बी०/2005/1676.— पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र नियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट और इससे संलग्न योजना में दर्शाये गये, गांव मंकड़ौला जिला गुड़गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के इर्द गिर्द दो किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये नियन्त्रित क्षेत्र घोषित करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची

गांव मंकड़ौला (हदबस्त संख्या 42), जिला गुड़गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के इर्द गिर्द नियन्त्रित क्षेत्र की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी०टी०पी० (जी) 1394/2005, दिनांक 16 जून, 2005, के साथ पढ़ा जाये।

उत्तर: बिन्दु 'ए' अर्थात् गांव मंकड़ौला (हदबस्त संख्या 42), की आयत संख्या 11 के उत्तर-पश्चिमी कोना से उत्तर-पूर्व की तरफ हरियाणा-दिल्ली राज्य सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'बी' तक, जो के गांव मांकड़ौला (हदबस्त संख्या 42) की आयत संख्या 66 का उत्तर-पूर्व कोना है।

पूर्व: तत्पश्चात् दक्षिण की तरफ बिन्दु 'बी' से गांव मंकड़ौला (हदबस्त संख्या 42) की आयत संख्या 66, 65, 63 तथा 54 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ गांव मंकड़ौला (हदबस्त संख्या 42) की आयत संख्या 54 के दक्षिण-पूर्व कोने तक, फिर पश्चिम की तरफ गांव मंकड़ौला (हदबस्त संख्या 42) की आयत संख्या 54 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ इसी आयत के पश्चिम दक्षिण कोने तक, फिर दक्षिण की तरफ गांव मंकड़ौला (हदबस्त संख्या 42) की आयत संख्या 50, 47, 42, 39, 31 तथा 32 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'सी' तक, जोकि गांव मंकड़ौला (हदबस्त संख्या 42) की आयत संख्या 32 का दक्षिण-पूर्व कोना है।

दक्षिणी: तत्पश्चात् पश्चिम की तरफ बिन्दु 'सी' से गांव मंकड़ौला (हदबस्त संख्या 42), की दक्षिणी राजस्व सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'डी' तक जोकि गांव मांकड़ौला (हदबस्त संख्या 42) की आयत संख्या 26 का दक्षिण-पश्चिम कोना है।

पश्चिम: तत्पश्चात् उत्तर की ओर बिन्दु 'डी' से गांव मंकड़ौला (हदबस्त संख्या 42) की पश्चिमी राजस्व सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ए' तक, जो कि प्रारम्भ का बिन्दु है।

शकुन्तला जाखू,
वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।